

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-()जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी- 749

दिनांक: 28.4.2007

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 37 वी बैठक दिनांक: 25.4.2007 को मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं०	जोन सं०	प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1.		37.1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 36 वी बैठक दिनांक: 24.3.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन वास्तु।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 36 वी बैठक दिनांक: 24.3.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	7	37.2	भूखण्ड सं० 59. काम्पा कॉलोनी के उप विभाजित भूखण्ड सं० 59ए, 59बी, 59सी को अतिरिक्त भू-पट्टी आवंटन वास्तु।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की काम्पा कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 59 का विच्छेद हो जाने से भूखण्ड संख्या 59ए, 59बी, 59सी का जोन स्तरीय कमिटी की बैठक दिनांक 14.12.06 में उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इन तीनों भूखण्डों 59ए, 59बी, 59सी में क्रमशः 55.82 वर्गगज, 40.30 वर्गगज, 54.66 वर्गगज सरकारी भूमि शामिल होने के कारण शामिल सरकारी भूमि का अतिरिक्त भूपट्टी के रूप में आवंटन किया जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि भूखण्ड संख्या 59ए, 59बी, 59सी की मूल भूमि विद्यमानुसार आवंटन योग्य है तो उपायुक्त जोन सर्वप्रथम भूखण्ड संख्या 59ए, 59बी, 59सी की मूल भूमि के आवंटन/निश्चयन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करे। तत्पश्चात् उक्त भूखण्डों से लगती हुई क्रमशः 55.82 वर्गगज, 40.30 वर्गगज, 54.66 वर्गगज सरकारी भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड (Strip of land) के रूप में वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>

(स.प.सी.)
आयुक्त (स.प.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

3.	7	प्रस्ताव संख्या 37.3	हनुमान नगर सी ब्लॉक में हनुमान नगर विकास समिति के साथ सहभागिता के आधार पर चनाया गथा सामुदायिक केंद्र का किराया दर बढ़ाने यायत्।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सामुदायिक केंद्र हनुमान नगर, प्राधिकरण एवं विकास समिति की सहभागिता से निर्मित किया गया था। इस सामुदायिक केंद्र में हनुमान नगर के सभी ब्लॉक गुलमोहर लेन कॉलोनी एवं शिवराज निकेतन के निवासियों द्वारा सहभागिता से राशि व्यय की गई है। उक्त सामुदायिक केंद्र दिनांक 2.1.2003 को हनुमान नगर विकास समिति को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित किया गया है। इस सामुदायिक केंद्र का संचालन जयपुर विकास प्राधिकरण के स्टैंडिंग आर्डर-30 एफ-4(29)जविप्रा/87/2821 दिनांक 27.6.92 के प्रावधानों के अनुसार है तथा शादी विवाह की किराया दर हनुमान नगर विकास समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार रखी गई है तथा वर्तमान में ली जा रही किराया दर को बढ़ाने के प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये हैं :-</p> <p>(अ) प्रथम दिवस का किराया (शादी विवाह कार्य) - 15000/- प्रतिदिन (ब) दूसरे व उसके बाद के दिनांक को (शादी विवाह कार्य) - 5100/- प्रतिदिन (स) बैठकें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम : 1. हॉल - 1500/- प्रतिदिन 2. लॉन - 1500/- प्रतिदिन (द) यिजलों का खर्चा - 10/- प्रति यूनिट (ध) सर्विस चार्ज - 10/- प्रतिरात (र) अमानता राशि - 500/- रुपये</p> <p>विचार विमर्श कर हनुमान नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार नई दरें लिये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि मूल्य से संबंधित किसी भी आयोजन के लिये दरें पूर्ववत् ही ली जाएंगी उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।</p>
4.	7	प्रस्ताव संख्या 37.4	गाविन्दपुरा करधनी ब्लॉक नो 10 डी में आवंटित भूखण्ड संख्या 52 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर सार्वजनिक रोड में आ जाने से अन्य दुकान का विनियमन करने यायत्।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि गाविन्दपुरा करधनी के डी ब्लॉक में कुल 60 दुकानें सृजित की गई थीं। उसमें से अजमेर रोड को 6 लेन की करने व चौड़ा करने के कारण हटाये गये दुकानदारों को 44 दुकानें आवंटित की गईं जिसमें पूरण सेनी को दुकान सं. 52 आवंटित की गई। जविप्रा द्वारा सार्वजनिक रोड निकालने के कारण मानचित्र में संशोधन कर अन्य कई दुकानों के साथ दुकान सं. 52 को विलोपित कर दिया गया। चूंकि उक्त दुकान सं. 52 सार्वजनिक रोड में आ गई है तथा इसके स्थान पर अन्य दुकान का आवंटन किया जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि विचाराधीन दुकान कॉर्नर दुकान नहीं थी अतः इसके एवज में कॉर्नर की दुकान नहीं दी जा सकती और कॉर्नर की दुकान के अतिरिक्त अन्य दुकान दिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अतः पूर्व में आवंटित दुकान सं. 52 के स्थान पर उसी आकार की दुकान सं. 49वीं योजना की तत्समय की व्यवसायिक आरक्षित दर 4000/- प्रतिवर्गमीटर पर विनियम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>

श्री. 0. प्रायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5.	7	प्रस्ताव संख्या 37.5	भूखण्ड संख्या- ए-40 (कॉर्नर) गोविन्दपुरा करधनी आवासीय योजना के जारी साइट प्लान 12.5 x 22'-0" के स्थान पर 15'-0" x 22'-0" अर्थात 55 वर्गमीटर के आवंटन एवं बड़े हुए क्षेत्रफल की दर निर्धारण के संबंध में।	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री पूरण चंद गुप्ता को प्राधिकरण की गोविन्दपुरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-40 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर का आवंटन लॉटरी द्वारा दिनांक 4.6.97 को किया गया था। भूखण्ड का कब्जा पत्र दिनांक 26.9.2000 को एवं दिनांक 27.9.2002 को 267.26 वर्गमीटर का लीज डीड तथा 12.5 x 22 मीटर का स्थल मानचित्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा, मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार 15 x 22 वर्गमीटर भूमि का संशोधित साइट प्लान जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण जोन स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 19.10.2006 में प्रस्तुत हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार प्रार्थी को संशोधित साइट प्लान जारी करने से पूर्व नियमानुसार राशि जमा कराई जावे तथा बड़े हुए क्षेत्रफल 2.5 x 22= 55 वर्गमीटर को राशि किस दर से ली जानी है, प्रकरण एलपीसी की मितिंग में प्रस्तुत किया जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाकर भूखण्ड के बड़े हुए क्षेत्रफल 55 वर्गमीटर को भूपट्टी (Strip of land) मानते हुए योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर भूपट्टी आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>
6.	8	प्रस्ताव संख्या 37.6	श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय को गोविन्दपुरा करधनी योजना में पुनर्वास के तहत व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन करने बाधत।	<p>उपायुक्त जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय ने अन्य किरायेदारों को आवंटित दुकानों के भांति उसे भी दुकान का आवंटन किये जाने की मांग की है। प्रकरण पूर्व में एलपीसी की 34वीं एवं 36वीं बैठक में भी प्रस्तुत हुआ था। उक्त प्रकरण का उपायुक्त द्वारा गहन परीक्षण किया गया। परीक्षण अनुसार प्रार्थी श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय, श्री लल्लुलाल यादव की दुकान संख्या 15 में गत 10-11 वर्षों से यहाँसियत किरायेदार था। लल्लुलाल यादव को कुल 4 दुकानें थी। लल्लुलाल को 4 दुकानों के बदले 4 दुकानों का ही आवंटन किया जाना था, परन्तु लल्लुलाल यादव द्वारा 5 दुकानें (दुकान संख्या 12,13,14,15,16) आवंटित करा ली गई। इस प्रकार लल्लुलाल को एक दुकान का अधिक आवंटन कर दिया गया।</p> <p>उपायुक्त जोन-8 द्वारा व्यक्त किया गया कि दुकान नम्बर 12 प्राप्त करने के लिए लल्लुलाल द्वारा कोर्पोरेटिव सोसायटी का पट्टा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लल्लुलाल को आवंटित 5 दुकानों में से एक दुकान संख्या 12 को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा उसकी लीज डीड न्यायालय से निरस्त करायी जावे। राज्य सरकार को जंडीए द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक उपा.8/डी-264 दिनांक 1.3.04 के क्रम में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति पत्र क्रमांक प-6(2)नवि/3/2004 दि. 12.4.04 के क्रम में उक्त दुकान संख्या 12 के न्यायालय से निरस्त होने के पश्चात् ही प्रार्थी श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय को किरायेदार की हैसियत के क्रम में पात्रता अनुसार दुकान का आवंटन किया जा सकेगा।</p>

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7.	8	प्रस्ताव संख्या 37.7	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोंविन्दपुरा/सांगानेर में पुनर्वास कर आवंटित किये गये भूखण्ड सं० 165 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर कॉर्नर का होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ जाने से नियमानुसार बढ़े हुए क्षेत्र की राशि देरी से जमा कराने के संबंध में।	<p>उपायुक्त जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्राची श्री शकील अहमद को कठपुतली नगर कच्ची बस्ती से हटाकर गोंविन्दपुरा (सांगानेर) आवासीय योजना में पुनर्वास कर भूखण्ड संख्या 165 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। आवंटन के पेटे वांछित राशि समयावधि में प्राची द्वारा जमा करवा दी गई थी। उक्त आवंटित भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण 40.5 वर्गमीटर के स्थान पर मौके पर 45 वर्गमीटर का पाया गया। इस प्रकार भूखण्ड के बड़े हुए 4.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के पेटे वांछित राशि 4 वर्ष 5 माह परचात् जमा कराई गई। अतः विलम्ब अर्वाधि के संबंध में निर्णय किया जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में नियमानुसार परीक्षण कराया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।</p>															
8.	9	प्रस्ताव संख्या 37.8	रामनगरिया विस्तार योजना में रोड अलाइनमेंट में परिवर्तन होने के कारण भूखण्डों के बड़े हुए क्षेत्रफल की दर निर्धारण बाकू ।	<p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकरण की रामनगरिया विस्तार योजना में लाटरी के द्वारा भूखण्डों का आवंटन किया गया था। भूखण्ड संख्या बी-462 से बी-469 के आवंटितों द्वारा भूखण्डों के पेटे जमा कराई जाने वाली राशि समय पर जमा करा दी गई। रोड अलाइनमेंट में परिवर्तन हो जाने के कारण उपरोक्त भूखण्डों का आकार, प्रत्येक भूखण्ड 162 वर्गमीटर से बढ़कर 275 वर्गमीटर का हो गया। इस प्रकार प्रत्येक भूखण्ड में 113 वर्गमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हो गई है। अतः बड़े हुए क्षेत्रफल की योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर ली जाकर आवंटितों को कब्जा पत्र व पट्टा जारी कर दिया जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों के अधिक बड़े हुए क्षेत्रफल के अनुसार, बड़े हुए क्षेत्रफल का आवंटन अतिरिक्त भूपट्टी के रूप में किया जाना उचित नहीं है। अतः योजना में इन भूखण्डों की रीप्लानिंग (Re-planing) करते हुए पूर्व में आवंटित किये क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड सृजित किये जावे तथा आवंटित क्षेत्र से अधिक भूमि को चिन्हित कर नीलामी द्वारा विक्रय किया जावे। अगर मौके पर इस अनुसार कार्यवाही संभव नहीं हो तो अन्य स्थान पर मूल भूखण्डों के क्षेत्रफल के बराबर के भूखण्डों के अनुसार ही रीप्लानिंग (Re-planing) कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।</p>															
9.	11	प्रस्ताव संख्या 37.9 37.9(1)	आपरेशन गुरुकुल अभियान, 2005 के अन्तर्गत विद्यालयों की भूमि आवंटन बाकू।	<p>उपायुक्त जोन-11 द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्यालयों का निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>नाम विद्यालय</th> <th>ग्राम/तहसील</th> <th>ख.न.</th> <th>क्षेत्रफल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>राजीव गांधी पाठशाला विमलपुरा</td> <td>विमलपुरा/सांगानेर</td> <td>326</td> <td>1500व.मी.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय मधुरावाला</td> <td>मधुरावाला/सांगानेर</td> <td>78</td> <td>4000व.ग.</td> </tr> </tbody> </table> <p>अतः विचार विमर्श उपरान्त उक्तानुसार भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि चूंकि उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि आवंटन निःशुल्क चाहा जा रहा है। अतः निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर तथा आवश्यकतानुसार भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।</p>	क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम/तहसील	ख.न.	क्षेत्रफल	1.	राजीव गांधी पाठशाला विमलपुरा	विमलपुरा/सांगानेर	326	1500व.मी.	2.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मधुरावाला	मधुरावाला/सांगानेर	78	4000व.ग.
क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम/तहसील	ख.न.	क्षेत्रफल															
1.	राजीव गांधी पाठशाला विमलपुरा	विमलपुरा/सांगानेर	326	1500व.मी.															
2.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मधुरावाला	मधुरावाला/सांगानेर	78	4000व.ग.															

प्रति० मायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1	<p>प्रस्ताव संख्या 37.9(2)</p> <p>पांच बल्ली स्थित नाले पर प्राधिकरण के निर्मित व्यावसायिक परिसर पर राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण को पूर्व में आवंटित निर्मित कार्यालय भवन की छत आवंटन के संबंध में भूमि एवं सम्पत्ति समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला एजेण्डा नोट।</p>	<p>उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि रजिस्ट्रार राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, राजस्थान, जयपुर को सी स्कीम स्थित पांच बल्ली नाले पर प्राधिकरण द्वारा निर्मित वाणिज्यिक परिसर का प्रथम तल जो पूर्व में उन्हें आवंटित है को छत का अधिकार वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के पास है। चूंकि उनके वर्तमान कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है तथा हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य आयोग की सर्किट बैच लगाने के आदेश पारित किये हैं तथा राज्य आयोग में 2 अन्य सदस्य नियुक्त होने की प्रक्रिया लंबित है, उक्त नये निर्माण में सर्किट बैच के लिये न्यायालय भवन तथा उनका स्टाफ, चैम्बर, कर्मचारियों आदि के बैठने के लिए भी स्थान की आवश्यकता है अतः प्रथम तल की छत का आवंटन उन्हें कर दिया जावे।</p> <p>प्राधिकरण के मुख्य अभियंता से ली गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त परिसर के प्रथम तल क्षेत्रफल 500.55 वर्गमीटर पर एक और मंजिल का निर्माण किया जा सकता है जिसके लिए नींव का निर्माण अनुकूल है लेकिन द्वितीय मंजिल के ऊपर निर्माण नहीं किया जा सकता। आयोग को पूर्व में 63,82,013 पाटीशन एवं फर्नीशिंग के साथ नजराना राशि 75,08,250/- रूपये में आवंटन किया गया था। आवंटन कराये जाने के संबंध में एक बैठक माननीय अध्यक्ष राज्य आयोग कार्यालय में माननीय न्यायाधिपति श्री एस.के.गर्ग की अध्यक्षता में दि. 20.10.2005 को आयोजित की गई जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर विकास आयुक्त एवं उपायुक्त जोन-प्रथम, राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मुख्य अभियंता उपस्थित थे। उक्त बैठक में निर्णय किया गया कि आयोग को उक्त कार्यालय के छत के अधिकार का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे क्योंकि प्राधिकरण द्वारा आवंटन कीमत लेकर ही किया जावेगा। उक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को क्रमांक डी-2377 दिनांक 17.11.2005 से पत्र भिजवाया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-3(57)नवि/3/05 दिनांक 28.1.2006 के द्वारा स्वीकृति दी है कि "प्रकरण में छत के अधिकार की कीमत एवं देय राशि जभायेदी में छूट प्रदान करने को राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।"</p> <p>अतः विचार विमर्श उपरान्त राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण को पूर्व में आवंटित निर्मित कार्यालय भवन की छत (द्वितीय मंजिल) का निःशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इस मंजिल के ऊपर आयोग द्वारा किसी ओर मंजिल का निर्माण नहीं किया जावेगा।</p>
1	<p>प्रस्ताव संख्या 37.9(3)</p> <p>माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्णयानुसार श्री गयाज अहमद एवं अयाज अहमद पुत्र रियाज अहमद को मालवीय नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-539 आवंटन करने के संबंध में।</p>	<p>उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन नगर विकास न्याय, जयपुर द्वारा मालवीय नगर योजना के तहत ग्राम चकधुगा तहसील सांगानर में खसरा नम्बर 7/5/1 व 7/6 को 14 बोधा भूमि खतदारी श्री गयाज अहमद एवं अयाज अहमद से अधात कर केलगरी चरींगवत ट्रस्ट आई हॉस्पिटल एवं रिसर्स सेंटर को मालवीय नगर में ही आवंटन कर दिया था प्राची को भूमि का मुआवजा तो दिया गया परन्तु निर्माण का मुआवजा बकाया रहा प्राचीगण के नियास का आंशिक कब्जा हॉस्पिटल की भूमि में होने के कारण लगभग 250 वर्ग गज भूमि का कब्जा कनगरी आई हॉस्पिटल को नहीं संभलताया गया था। प्राचीगण द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध जविप्रा अपीलीय अधिकरण में एक रफरेन्स वाद संख्या 107/96, अवाई के अनुसार 250 वर्गगज भूमि आवंटन हेतु दायर किया गया न्यायालय में दायर उक्त वाद के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण को 250 वर्ग गज भूमि आवंटन</p>

प्रति उपायुक्त (एल.पी.सी.)
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

किये जाने के निर्देश दिये गये। न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना नहीं होने पर प्रार्थीगण द्वारा पुनः उक्त न्यायालय में रैफरेंस दायर किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.04 को निम्न आदेश पारित किया गया रैफरेंस स्वीकार किया जाता है, प्राधिकरण दो माह के अन्दर मालवीय नगर योजना में ही प्रार्थी को भूखण्ड उपलब्ध कराये साथ ही उनके मकान तथा कूपे का तकमीना लिखकर इस भूखण्ड की राशि काटते हुए शेष राशि यदि कोई बचती हो तो प्रार्थी का भुगतान करे। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का कब्जा मिलने के एक माह के अन्दर विवादित मकान तथा कूपे का कब्जा प्राधिकरण को सभलायेगा यदि आवंटित भूखण्ड कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रार्थी एक माह के पश्चात इस भूखण्ड का कब्जा नहीं सभलाते है तो प्राधिकरण धारा 72जविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत उस पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा साथ ही उसके मकान तथा कूपे का तकमीना बनाकर इस भूखण्ड की राशि को काटते हुए शेष राशि यदि कोई बचती है तो प्रार्थी को भुगतान करे। जविप्रा अपीलीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 27.2.04 की पालना में एल.पी.सी. की 19 वीं बैठक दिनांक 05.10.05 में महल आवासीय योजना में भूखण्ड उपलब्ध होने की शर्त के आधार पर 250 वर्ग गज का भूखण्ड प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना नहीं होने के कारण अवमानना प्रकरण संख्या 596/05 वर्तमान में न्यायालय में जंरकार है। अवमानना प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष महल आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड को लेने से मना कर दिया गया तथा मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए-539 क्षेत्रफल 215.29 वर्गगज के आवंटन बायत सहमति दी गई है। अतः उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण को आवंटित किया जावे।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर प्रार्थीगण को पूर्व में महल आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड को निरस्त करते हुए मालवीय नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-539 क्षेत्रफल 215.29 वर्गगज का वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि निर्देशक विधि के स्तर पर यह परीक्षण करा लिया जावे कि प्रकरण में अब अपील किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य तो नहीं है।

12	1	प्रस्ताव संख्या 37.9/4	राजस्थान पत्रिका लिमिटेड को पूर्व में आवंटित भू.सं.5-ई क्षेत्रफल 3477.46 वर्गमीटर के समीप नवसृजित भू.सं. 6-ए क्षेत्रफल लगभग 5081.69 वर्गमीटर झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आवंटन किये जाने के संबंध में।	<p>उपरोक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान पत्रिका लिमिटेड को पूर्व में दिनांक 24.05.88को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 5-ई क्षेत्रफल 3477.46 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। तथा अब इसी भूखण्ड के समीप भूखण्ड संख्या 6ए क्षेत्रफल लगभग 5081-69 वर्गमीटर को आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण पूर्व एल.पी.सी. की 33 वीं बैठक में रखा गया था। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार से निम्न 3 बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को दिनांक 08.09.06 को प्रेषित किया गया।</p> <p>बिन्दु संख्या (अ) संस्था का पूर्व में 3648 वर्गमीटर भूमि दिनांक 24.03.1998 को तत्कालीन व्यावसायिक दर पर आवंटित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 07.03.1998 के परिपत्र के लागू होने से पूर्व एवं बिना रियायती दर के आवंटन को क्या हम परिपत्र दिनांक 07.03.1998 के परिपत्र में वर्णित क्षेत्रफल एवं दर की सीमाओं में शामिल माना जावेगा या नहीं ?</p> <p>बिन्दु संख्या (ब) परिपत्र दिनांक 07.03.1998 के अनुसार समाचार -पत्रों का अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकती है इस परिपत्र के लागू होने से पूर्व संस्था को 3648 वर्गमीटर भूमि आवंटित हो चुकी है। संस्था द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या 6ए का क्षेत्रफल लगभग 5081 वर्गमीटर है। ऐसी दशा में समाचार पत्र को अधिकतम आवंटन योग्य क्षेत्रफल के संबंध</p>
----	---	------------------------	---	---

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मे इस परिपत्र में शिथिलता की राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। विन्दु संख्या (स) विन्दु संख्या 'ब' पर निर्णय होने के अनुसार ही दर तय करनी होगी कि किस दर पर आवंटन किया जाना है। अतः प्रकरण उपरोक्तानुसार स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित है। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 15.03.07 के द्वारा निम्न जानकारी चाही गई है:- समाचार पत्र को पूर्व में आवंटित भूमि हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या शर्तें रखी गई थी, आवंटन का आधार नियमन क्या था? की जानकारी के साथ समाचार पत्र को पूर्व से आवंटन आदेश से संबंधित अभिलेख भी भिजवावे ताकि परीक्षण किया जा सके साथ ही आपके संदर्भित पत्र में उल्लेखित तीनों विन्दु 'अ' 'ब' 'स' पर भी अपनी राय/अभिमत से इस विभाग को अवगत करावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 7.03.1998 में यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 07.3.98 से पूर्व समाचार पत्रों को आवंटित भूमि दिनांक 7.3.98 के पत्र में अंकित प्रथम आवंटन योग्य अधिकतम सीमा 4000 वर्गमीटर में सम्मिलित मानी जावे अथवा पूर्व में आवंटित भूमि को अलग प्रकरण मान कर दिनांक 07.03.98 के अनुसार नये सिरे से अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक की भूमि का आवंटन पुनः कर दिया जावे। उक्त परिपत्र दि. 7.3.1998 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है अतः इसके संबंध में स्पष्ट विवेचन एवं निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही संभव है। अतः प्रासंगिक 7.3.1998 के परिपत्र के संबंध में यदि राज्य सरकार के स्तर पर उक्त परिपत्र दि. 7.3.98 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वर्णित अर्वाधि के पूर्व की आवंटित भूमि इस परिपत्र में वर्णित 4000 वर्गमीटर के प्रथम आवंटन में सम्मिलित नहीं होना माना जाता है तो 4000 वर्गमीटर तक प्रथम आवंटन माना जाकर तदनुसार कीमत लिया जाना उचित होगा और राज्य सरकार के स्तर पर यदि पूर्व की अर्वाधि में आवंटित भूमि को इस परिपत्र में वर्णित 4000 वर्गमीटर से प्रथम आवंटन में सम्मिलित होना माना जाता है तो 4000 वर्गमीटर तक उसे सम्मिलित करते हुए तदनुसार कीमत लिया जाना उचित होगा, परन्तु चूंकि दिनांक 7.3.98 का पत्र राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया गया है, इस विन्दु पर निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही संभव है अतः राज्य सरकार के स्तर पर ही समुचित निर्णय हेतु निवेदन किया जावे। अतः राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15.03.07 के द्वारा चाही जा रही अन्य सूचनाओं के साथ प्रकरण पूर्ण तथ्यों सहित पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

13

1

प्रस्ताव
संख्या
37.94/51

राजस्थान खटीक समाज महासमिति को संशोधित साइट प्लान जारी किया जा चुका है जिसकी भूमि एवं सम्पत्ति समिति द्वारा पुष्टि कराई जानी है।

उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव किया है कि राजस्थान खटीक समाज महासमिति को राजस्थान अहीर सभा के समीप भूखण्ड संख्या 1-बी व 1-बी-1 का आवंटन किये जाने के फलस्वरूप दोनों समाज में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण दोनों समाज के प्रतिनिधियों को श्रामान आयुक्त महोदय, द्वारा व्यक्तिशः सुना गया एवं तत्पश्चात समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सहमति प्रकट की। जिसकी पालना में राजस्थान खटीक समाज महासमिति को, अहीर समाज को आवंटित की जाने वाली आंशिक भूमि को छोड़ते हुये पूर्व में जारी क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल का संशोधित साइट प्लान जारी कर कार्यान्तर स्वीकृति चाही गई है। उपायुक्त जोन द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व में किये गये आवंटन का खसरा नम्बर तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है केवल मौके पर साइट बदला गया है। प्रकरण पर विचार विमर्श कर जारी किये गये संशोधित साइट प्लान की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(हस्ताक्षर)
अति. प्रायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

14	1	प्रस्ताव संख्या 37.9(6)	राजस्थान अहीर सभा को खटीक समाज समिति से आपसी समझौते के परचात बची हुई शेष भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 2740 वर्गमीटर (2290) वर्गमीटर है, आवंटन किये जाने के संबंध में जब कि मौके पर लगभग 2365 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है अतः बची हुई भूमि 85 वर्गमीटर अन्य किसी उपयोग के योग्य न होने के कारण 2365 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान अहीर सभा को दिनांक 30.03.88 को 3520 वर्गमीटर भूमि श्री कृष्णा छात्रावास हेतु आवंटित की गई थी, तत्परचात अहीर सभा छात्रावास के पास रिक्त भूमि समाज के विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने को मांग की गई जिस पर दिनांक 23.03.1996 को राज्य सरकार द्वारा 2740 वर्गमीटर (2290 वर्गमीटर) भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रस्तावित भूमि आवंटन से पूर्व ही इस भूमि को शामिल करते हुये 4078 वर्गमीटर भूमि राजस्थान खटीक समाज महासमिति को आवंटित कर दी गई जिसके कारण राजस्थान खटीक समाज एवं अहीर सभा में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों समाज के प्रतिनिधियों द्वारा आयुक्त महोदय से चर्चा कर विवाद निपटाया जाना निश्चित किया गया। अहीर सभा को नाले से रिक्लेम भूमि को शामिल करते हुए 4078 वर्गमीटर भूमि खटीक समाज को दिये जाने के परचात श्री कृष्ण छात्रावास के पीछे नाले के पास उपलब्ध जमीन को अहीर सभा को दिये जाने की सहमति के फलस्वरूप अब अहीर समाज को 2365 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जावे।</p> <p>अहीर सभा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया हुआ है। इस बाबत अहीर सभा द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का दिया गया है कि यदि उन्हें प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया जाता है तो न्यायालय में दायर प्रकरण को खे विद्वा कर लेंगे।</p> <p>प्रकरण विचार विमर्श किया गया राजस्थान खटीक समाज एवं अहीर सभा के प्रतिनिधियों को श्रीमान आयुक्त महोदय, द्वारा व्यक्तिगतः सुना गया तथा दोनों सभाजों के मध्य हुये समझौते के क्रम में अहीर सभा को पूर्व में आवंटित 3520 वर्गमीटर से लगती हुई, अधिक कब्जे वाली 523.90 वर्गमीटर, खटीक समाज से समझौते के आधार पर सुट्टवाई गई 1457.81 वर्गमीटर तथा पूर्व में आवंटित भूमि एवं नाले के मध्य रिक्त भूमि (जिसका कोई अन्य उपयोग संभव नहीं रह जाता है) 383.68 वर्गमीटर कुल 2365.39 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक दर पर आवंटन किया जाना उचित होगा, परन्तु पूर्व में 2290 वर्गमीटर की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग के 33 क्रमांक प-3/204/नविआ/7/पार्ट दिनांक 23.3.96 से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। अतः 2290 वर्गमीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति से अधिक भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति तथा उक्त पूरी 2365.39 वर्गमीटर भूमि के संबंध में क्या आवंटन की दर ली जावे, के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही की जावे।</p>
15	12	प्रस्ताव संख्या 37.9(7)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टण्ड तहसील आमेर को खेल के मैदान एवं भवन हेतु ग्राम टण्ड के ख.न. 3 कुल रकबा 15.15 हे. प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि में से 6बीघा भूमि आवंटन करने बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव किया है कि नई हॉटल नीति के तहत ग्राम टण्ड तहसील आमेर के खंसरा न. 3 रकबा 15.15 हे. की प्लानिंग कर 5 भूखण्डों में से भूखण्ड से 3 को नई हॉटल नीति 2006 के तहत नीलामी हेतु विज्ञापित निकलते ही ग्राम वासियों द्वारा पूर्व में जविप्रा द्वारा पत्रांक एस.टी.पी. (सी.पी.) डी- 477 दिनांक 05.8.93 जिसके द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टण्ड तहसील आमेर के लिये 6 बीघा भूमि खेल मैदान भवन हेतु आवंटन किये जाने के क्रम में जिला कलेक्टर जयपुर को सशर्त अनापत्ति जारी की गई थी के आधार पर माननीय न्यायालय A.C.JM. (क.ख.) जयपुर जिला जयपुर से दिनांक 1.03.07 को अस्थायी निष्काजा प्राप्त की जिसके अनुसार जविप्रा को इस प्रकार पाबन्द किया है कि वह उक्त आदेश दिनांक 05.08.95 के मुताबित आईन्दा आदेश तक उक्त आदेश में वर्णित भूमि की हद तक मौका स्थिति को यथावत बनाये रखे उक्त आदेश में वर्णित भूमि के के अलावा ओर किसी भूमि पर अप्रार्थी से 3 (जविप्रा) नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है।</p>

प्रति० आयुक्त (एन.पी.सी.)
ग्राम विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>हस सन्दर्भ मे दिनांक 4.04.07 को मौके पर संयुक्त पक्षकारी सरपंच, सदस्य पंचायत समिति, प्रधानाध्यापक राज0उच्च प्राथमिक विद्यालय टण्ड एव उपस्थित ग्राम वासियो से मौके पर वार्ता की गई तथा मौके पर नाप की जाकर 6 बीघा भूमि विद्यालय हेतु चिन्हित करवाई गई जिस पर सभी द्वारा अपनी सहमति देते हुये पर्जा मौका पर हस्ताक्षर किये गये। उक्त 6 बीघा भूमि विद्यालय को आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति हस निर्देश से साथ दी जाती है कि जविप्रा द्वारा विद्यालय को भूमि का आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प-3(55) नविवि/03/02 दिनांक 14.02.05 के अनुसरण में किया जाता है, उक्त परिपत्र में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय को अधिकतम 4000 वर्गगज भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है जबकि प्रकरण में वांछित 6 बीघा भूमि उक्त सीमा से अधिक है तथा चूंकि भूमि का आवंटन निःशुल्क चाहा जा रहा है अतः परिपत्र में अंकित सीमा से अधिक तथा निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर तथा भूउपयोग उपान्तरण की आवश्यकतानुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।</p>
16	10	प्रस्ताव संख्या 37.9(8)	ग्राम जामडोली में श्मशान हेतु भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जामडोली के ग्रामवासीयान द्वारा ग्राम जामडोली के खसरा नम्बर 119 की 2बीघा चरागाह भूमि को श्मशान के लिए आवंटन चाहा जा रहा है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्रामवासीयान द्वारा पूर्व से ही श्मशान के कार्य में ली जा रही है। अतः उक्त भूमि श्मशान हेतु आवंटित की जावे।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श कर ग्राम जामडोली के खसरा नम्बर 119 की 2 बीघा भूमि को सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
17	6	प्रस्ताव संख्या 37.9(9)	भूखण्ड संख्या 15 खसरा नम्बर 432 ग्राम झोटवाड़ा की अधिक भूमि के आवंटन बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-6 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री मोहनलाल व श्रीमति सुनीता मीणा द्वारा खसरा नम्बर 432 तारा नगर डी के उत्तर में, ग्राम झोटवाड़ा कॉर्नर भूखण्ड संख्या 15 क्षेत्रफल 190.66 वर्गमीटर को नीलामी में दिनांक 7.2.04 को 2660/- प्रति वर्ग मीटर की दर से क्रय किया गया था। कच्चा पत्र दिनांक 27.11.04 को जारी किया जा चुका है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 284.91 वर्गगज होता है जबकि नीलामी में 227.95 वर्गगज भूमि ही क्रय की गई है इस प्रकार अधिक भूमि 56.96 वर्गगज में से 5.38वर्गगज गोलार्ड के क्षेत्रफल की भूमि कम करने पर शेष 51.58 वर्गगज भूमि भूपट्टी (Strip of land) का आवंटन किया जावे।</p> <p>विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन-6 द्वारा अवगत करवाया गया कि भूखण्ड संख्या 15 के साथ भूखण्ड संख्या 16, 17 एवं 18 में भी मौके की स्थिति के अनुसार आवंटित क्षेत्रफल से प्रत्येक में 56.96 वर्गगज अधिक क्षेत्रफल है।</p> <p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 15 से लगती हुई 51.58वर्गगज भूपट्टी (Strip of land) भूमि के रूप में वर्तमान आवासोप्य आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटित करने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि अन्य भूखण्ड 16, 17 एवं 18 के संबंध में भी हसी अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।</p>

अति० उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

18	10	प्रस्ताव संख्या 37.9(10)	ग्राम आमेर में गुलाबो सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान हेतु भूमि आवंटित किये जाने बाबत।	<p>उपायुक्त जोन 10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के संदर्भ में गुलाबो सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान को ग्राम आमेर में खसरा न. 718 क्षेत्रफल 0.69 हे. ख.न 1344 रकबा 2.95 हे. किस्म गे.मु. कुण्ड में से 1.31 हे. भूमि (किस्म परिवर्तन होने की शर्त पर) आवंटित की जानी है इस हेतु गुलाबो सपेरा द्वारा भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संस्था का पंजीयन दिनांक 13.04.06 को हुआ है; संस्था द्वारा आवश्यक विन्दुओं सहित परिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है। मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल दर्शाते हैं अतः संस्थानिक प्रयोजन हेतु भू उपयोग परिवर्तन कराया जाना आवश्यक है संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों के आय-व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपायुक्त द्वारा विचार विमर्श के दौरान व्यक्त किया गया कि मौके पर भूमि कच्चे कुण्डनुमा स्थिति में है।</p> <p>अतः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि में खसरा नम्बर 1344 में से 1.31 हेक्टेयर भूमि को किस्म गे.मु.कुण्ड है। अतः और कुण्ड आदि की किस्म की भूमि बिना किस्म परिवर्तन के आवंटन योग्य नहीं है। अतः सर्वप्रथम उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे तथा खसरा नम्बर 718 रकबा 0.69 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1344 की प्रस्तावित 1.31 हेक्टेयर भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण बताया गया है। अतः उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जावे तथा भूउपयोग परिवर्तन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संपादित की जावे।</p> <p>संस्था द्वारा भूमि का आवंटन निःशुल्क चाहा गया है, परन्तु संस्था राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-3(55)नवि/3/02 दिनांक 14.2.05 में वर्णित अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तथा गत 3 वर्षों का आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा परियोजना रिपोर्ट (Project Report) भी प्रस्तुत नहीं की है। अतः उक्त परिपत्र में वर्णित मानदण्डों को पूरा नहीं करती है। अतः मौके व रिकार्ड तथा नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार कमियों की स्थिति के सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आवश्यक शिथिलता हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।</p>
19	9	प्रस्ताव संख्या 37.9(11)	सेन्ट्रल स्पाइन जगतपुरा (गोनेर रोड) पर पेट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि बी.पी.सी.एल द्वारा सेन्ट्रल स्पाइन जगतपुरा में पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एस. 44 क्षेत्रफल 5445.46 वर्गमीटर भूमि में से 1200 वर्ग मीटर भूमि का पेट्रोल पम्प हेतु आवंटन चाहा जा रहा है, अतः आवंटन किया जावे। आवंटन की जाने वाली भूमि के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श में यह तथ्य सामने आया है कि उक्त भूखण्ड ग्राम महल के खसरा न. 230, 231, 231/807 पर सृजित है। यह भूमि रीको द्वारा आयाप्त की गई है इस भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको द्वारा दिनांक 15.12.2000 को अवार्ड जारी किया गया था भूमि का कब्जा वर्तमान में रीको के पास है जविप्रा को अभी</p>

अ.स.स. (स.पी.सी.)

				<p>तक उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा स्वामित्व भी जविप्रा के नाम नहीं आया है। पूर्व में एच.पी.सी.एल को वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर 900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था।</p> <p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवंटित की जाने वाली भूमि जब तक जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नहीं आ जाती। तब तक आवंटन किया जाना संभव नहीं है। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम आने के पश्चात ही प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावे।</p>
20	1	प्रस्ताव संख्या 37.9(12)	पुलिस मुख्यालय हेतु भूमि आरक्षित किये जाने बायत।	<p>उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि महानिरीक्षक पुलिस (आयोजना एवं कल्याण) राजस्थान जयपुर द्वारा पुलिस मुख्यालय भवन हेतु 10000 वर्गगज भूमि आवंटन किये जाने का अनुरोध किया है। अतः राजमहल योजना (संस्थानिक) स्थित भूमि जिसका भू.स. जी-1, जी-2 क्षेत्रफल 6434.75 वर्गमीटर (7695.41 वर्गगज) है, अतः पुलिस मुख्यालय भवन हेतु आरक्षित की जावे।</p> <p>पूर्व में भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 10.5.06 में प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया गया था कि स्टेच्यू सर्किल के पास जयपुर उद्योग की आवासाधीन भूमि में से 10000 वर्गगज भूमि पुलिस मुख्यालय हेतु ए.ए. एफ.आई.आर. के स्थगन आदेश को प्रभावित किये बिना एस.एल.पी. संख्या 4088/2005 के निर्णयाधीन आरक्षित की जाकर प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे, किन्तु उक्त भूमि पर वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी में स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण आवृत्ति की कार्यवाही लंबित है। अतः विकल्प के रूप में उपरोक्त भूमि को आरक्षित किया जाना है।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार राजमहल योजना (संस्थानिक) में भूखण्ड संख्या जी-1 व जी-2 क्षेत्रफल 6434.75 वर्गमीटर भूमि पुलिस मुख्यालय (PHQ) हेतु आरक्षित की जावे तथा पूर्व में पुलिस मुख्यालय (PHQ) के लिए आरक्षित अन्य भूमि के आरक्षण को प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जावे।</p>
21	12	प्रस्ताव संख्या 37.9(13)	योगी कला अकादमी संस्थान को भूमि आवंटन करने बायत।	<p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री क.सी मातृ अभ्युक्त, योगी कला अकादमी संस्थान ने राजस्थान के लोक संगीत गीत संस्कृति, पर्व त्योहारों और जनजीवन पर शोध प्रशिक्षण प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार करने हेतु कला ग्राम स्थापना निर्माण एवं परिचालन हेतु आवश्यक भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.10.05 को हुआ है जिसके कारण पंजीयन समयावधि में छूट हेतु भी संस्था ने निवेदन किया है।</p> <p>जयपुर विकास आयुक्त द्वारा संस्था को भूमि आवंटित किये जाने के लिये अति. आयुक्त (पूर्व) अति. आयुक्त एल.पी.सी अति. निदेशक (आर.एम.) एवं उपायुक्त जोन-12 की एक कमिटी गठित की जिसकी बैठक दिनांक 21.04.07 को आयोजित की गई। बैठक में उक्त संस्था को 5 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन हेतु आयुक्त महोदय, के अनुमोदन पश्चात एल.पी.सी की</p>

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			<p>बैठक में निर्णयार्थ प्रकरण को रखे जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules 1974 के नियम 19 में वर्णित संस्था की क्षेणी में यह संस्था आती है, इन्ही नियमों में वर्णित शर्तों पर भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया है।</p> <p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.10.05 को हुआ है तथा संस्था कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होनी आवश्यक है। संस्था द्वारा गत तीन वर्षों के आय व्यय का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, वित्तीयस्रोतों की स्थिति भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। जयपुर विकास आयुक्त महोदय, द्वारा गठित कमेटी ने 5 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन किये जाने की राय दी है।</p> <p>अतः विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था को ग्राम लबाना तहसील आमेर के खसरा न. 132से 136, 145,216, 217, 220 से 230, 234 से 240, 243 से 248, 252 से 256, 258, 259 262, 263, 264 कुल कित्ता 42 रकबा 18.88 हे. भूमि जो जविप्रा के स्वामित्व की है, में से 5 बीघा भूमि जोन की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु संस्था द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन चाहा गया है। अतः प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित आवश्यक शिथिलता हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।</p>
22	11	प्रस्ताव संख्या 37.9(14)	<p>ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर के गत खसरा नम्बर 261 हाल खसरा नम्बर 614 से 620 रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि जो कि उद्योग हेतु लीज होल्ड की थी, परन्तु मेटलमेट में सिवाय चक होने से जविप्रा के नाम दर्ज हो गई। इस भूमि को पुनः लीज होल्ड हेतु टिप्पणी भेजे जाने के क्रम में।</p> <p>उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जिला कलक्टर जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 15451 दिनांक 30.12.06 द्वारा अवगत कराया है कि तहसील सांगानेर के ग्राम मदरामपुरा के गत ख.न. 261 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा सिवाय चक भूमि को औद्योगिक क्षेत्र हेतु आरक्षित किया गया था। तत्पश्चात् निदेशक, उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 31.3.79 द्वारा मैसर्स जयपुर पोल्स उद्योग को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई। मैसर्स जयपुर पोल्स उद्योग द्वारा राजस्थान वित्त निगम की देनदारी चुकता नहीं करने पर वित्त निगम द्वारा उक्त भूमि का विक्रय जयपुर प्रेस्ट्रेस प्रोडक्ट को किया जाकर उनके पक्ष में लीजड्रीड संशोधन हेतु लिखा है। प्रश्नगत भूमि के नये ख.न 614 से 620 बने हैं जिनका क्षेत्रफल 2.15 हैक्टेयर है तथा भूमि जविप्रा के नाम दर्ज की गई है जबकि उक्त भूमि उद्योग हेतु लीज पर आवंटित होने के कारण राजस्व रेकार्ड में उद्योग विभाग/लीज पर आवंटन का अंकन होना चाहिये। इस पर निर्णय लिया जाकर जिला कलक्टर जयपुर को टिप्पणी भिजवाई जानी है।</p> <p>प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया कि चूंकि भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु आरक्षित की जाकर उद्योग विभाग द्वारा आवंटन की जाकर लीज डीड जारी की गई थी और वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज हो गई है। अतः जिला कलक्टर, जयपुर को प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर (As per merits) तथ्यों सहित अनापत्ति भिजवानी जाने की कार्यवाही की जा सकती है।</p>
23	9	प्रस्ताव संख्या 37.9(15)	<p>राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टीलावाला को भूमि आवंटन बाबत।</p> <p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि प्रधानाध्यापक राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय टीलावाला ने जविप्रा कर्मचारियों को टीलावाला आवासीय योजना में विद्यालय हेतु आरक्षित की गई भूमि को विद्यालय हेतु आवंटन किये जाने का अनुरोध किया है। ग्राम टीलावाला में ख.न. 272, 273 में से 1393.56 वर्गमीटर भूमि के कुछ भाग पर विद्यालय भवन निर्मित है</p>

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>तथा शेष भूमि रिक्त है। अतः विद्यालय को उक्त भूमि का आवंटन किया जावे।</p> <p>विचार विमर्श उपरान्त उक्तानुसार भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि चूँकि विद्यालय द्वारा भूमि का आवंटन निःशुल्क नाहा जा रहा है अतः निः शुल्क भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर तथा यदि भू-उपयोग उपान्तरण को आवश्यकता हो तो भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए आवंटन की कार्यवाही का जावे।</p>
--	--	--	--	--

तत्परचात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

(Signature) 28/11/2007

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
- 4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
- 5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामटल
- 6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
- 7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किरानपोल
- 8- प्रो० बीरू सिंह राठीह, विधायक, बनीपार्क
- 9- श्री कालीचरण सराफ, विधायक, जौहरी बाजार
- 10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
- 11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
- 12- निजी सचिव, प्रमुख शगमन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 14- जिला कलक्टर, जयपुर
- 15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
- 18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
- 19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 20- निदेशक(वित्त/अर्थ/आयोजना), जयपुर, जयपुर
- 21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी.), जयपुर, जयपुर
- 22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निरंतरण), जयपुर, जयपुर
- 23- उपायुक्त जॉन-1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 24- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर
- 25- शिक्षित पत्रावली

(Signature)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति-पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 37 वी बैठक दिनांक: 25.4.07 में उपस्थिति रहे अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की सूची :-

क्रम सं.	नाम अधिकारियों मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री जी.एल.गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र पारीक, माननीय विधायक	सदस्य
4.	श्रीमति कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री शशांक महागावंकर, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य, सचिव
6.	श्री मातादीन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य
7.	श्री जानाराम, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8.	श्री रामनिवास मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री एम.एल.गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
10.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जॉन-1	विशेष आमंत्रित
11.	श्री महेंद्र कुमार पारख, उपायुक्त जॉन-4, जॉन-10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री देवाराम सेना, उपायुक्त जॉन-6	विशेष आमंत्रित
13.	श्री गिराराज अग्रवाल, उपायुक्त जॉन-7	विशेष आमंत्रित
14.	श्री लेखराज तोपावडा, उपायुक्त जॉन-8	विशेष आमंत्रित
15.	श्री भगवान महाय शर्मा, उपायुक्त जॉन-9	विशेष आमंत्रित
16.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जॉन-11	विशेष आमंत्रित
17.	श्री हनु सिंह सोलंका, उपायुक्त जॉन-12	विशेष आमंत्रित

श्रीमति 0 आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर